न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 35 / 2023

1 लखपति पत्नी हरिसिंह जाति अहिर निवासी पचेरी कलां हाल आबाद रसुलपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 पिस्ता देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी पचेरी कलां हाल आबाद रसुलपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा उनवानी
पिस्ता देवी बनाम लखपति वगै. मु.नं.
213 / 2020 निर्णय दिनांक 16.06.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री संदीप बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अशोक लाम्बा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 12.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 213/2020 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के यहां रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आराजी हाल खसरा नम्बर 419 के खसरा संख्या 1659 रकबा 2.33 हैक्टेयर जिसमें अपीलांट का हिस्सा 11/233 सरहद ग्राम रसुलपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू के संबंध में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 16.06.2022 के द्वारा स्वीकार कर अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से दावा के निर्णय होने तक जमीन उपरोक्त खसरा नम्बर के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि. निर्णय जैर बहस अवैध व शुन्य है निर्णय आदेशिका पर लिखा हुआ है। कानून से रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 भागी द्वितीय के नियमों के मुताबिक आदेशिका पर निर्णय नहीं लिखा जा सकता और निर्णय में पक्षकारान के नाम पते दर्ज होने आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 व

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के प्रावधानों को नजरअंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने प्लींडिग व दस्तावेजी साक्ष्य को सही रूप से डिस्कस नहीं किया है। अपीलान्ट सदभाविक केता है और पंजीकृत विकय विलेख के मार्फत अपीलान्ट ने जमीन जैर बहस में से 11/233 हिस्से के टिनेन्सी राईटस कब्जे सहित उचित प्रतिफल के बदले हक से कय किए है। अपीलान्ट रिकार्डेड सहखातेदार है। कानून से रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त जमीन खरीदते समय आने जाने के लिए जुगलकिशोर पुत्र उदयसिंह जाति अहीर निवासी इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू व मुकेश शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 1659 बाबत उक्त दोनों व्यक्तियों का मालिकान हक प्राप्त था। इस मालकाना हक के पेटे उक्त भूमि पर जाने के लिये अपीलान्ट को 20 फुट चौड़े रास्ते बाबत दिनांक 14.08.2012 को एक लिखावट करके अपीलान्ट को दी कि उक्त रास्ते पर अन्य किसी भी व्यक्ति का आवागमन होगा न ही किसी अन्य व्यक्ति उक्त रास्ते पर कब्जा कर सकेगा यह रास्ता सिर्फ अपीलान्ट को आने जाने के लिये दिया गया उक्त रास्ते पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जबरदस्ती से रास्ता खोल कर उक्त रास्ते को अवरूद्ध करवाया व अपीलान्ट को आने जाने में बाधा कारित करने व अपीलान्ट के द्वारा अपनी भूमि पर मकान नहीं बनाये देने के लिये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने के लिए जो आवश्यक बिन्दु होते है उन्हें बिना निर्धारित किए आदेश जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने प्राईमाफेशी केस, सुविधा का संतुलन व अपारक्षति के बिन्दु को तय नहीं किया है। निर्णय स्पीकिंग नहीं है। उपरोक्त तीनों बिन्दु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्लींडिग से इस बात की ताईद होती है कि उन्होनें विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सारवार बिन्दु नहीं उठाया है जिसका विचारण होना है। कानून से कोटिनेन्ट को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उसकी टिनेन्सी के फुटस लेने से नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने विधि की अनदेखी कर मनमर्जी से निर्णय पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के हितों का निर्धारण विचारण न्यायालय में लंबित मूलवाद मे होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहूल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने पैरवी नहीं की है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर विधिक प्रकिया अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही किये बिना, प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना, पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किए बिना संक्षिप्त रूप से विचाराधीन निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर, विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई तीनों बिन्दुओं पर विवेचन कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर